संख्याः 51/2016/1605 प्रो0/51-2016-20(235)/2000

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक,
उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
परिवहन भवन टिहरी कोठी,
लखनऊ ।

2- वित्त नियंत्रक,
उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
परिवहन भवन टिहरी कोठी,
लखनऊ ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2016

विषयः प्रत्येक जनपद में राज्य अतिथि घोषित महानुभावों को वी0आई0पी0 वाहन उपलब्ध कराये जाने एवं प्रोटोकाल विभाग से सम्बन्धित लम्बित देयकों के भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 181 ड्यूज/16-50 बी एफ/82-डी, दिनांक 23 जून, 2016 एवं पत्र संख्याः 156 ड्यूज/16-50 बी एफ/82-डी, दिनांक 30 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- प्रोटोकाल विभाग पर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लम्बित दर्शायी जा रही धनराशि के भुगतान के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में ही अर्द्ध शासकीय पत्र संख्याः 1040 प्रो0/51-2012-20(235)/2000, 12 जून, 2012 (प्रति संलग्न), जो प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है द्वारा यह अवगत कराया जा चुका है कि प्रोटोकाल विभाग में फरवरी, 2012 से पूर्व का कोई देयक भुगतान हेतु लम्बित नही है यह भी कहा गया था कि प्रोटोकाल विभाग के सापेक्ष यदि पूर्व वर्षो की कोई बकाया धनराशि अवशेष है तो राज्य अतिथि घोषित महानुभाव के सदंर्भ में तत्सम्बन्धी देयकों के भुगतान का प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से प्रोटोकाल विभाग को भेजे जाए। अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 827 प्रो0/51- 2013-20(235)/ 2000, दिनांक 17 अप्रैल, 2013 तथा शासनादेश संख्याः 175 प्रो0/51-2013-20(235)/2000, दिनांक 04 जून, 2013 (प्रति संलग्न) द्वारा भी आपको अवगत कराते हुए अपेक्षा की गयी है कि वर्तमान में मार्च, 2013 तक शासन में प्राप्त समस्त देयकों का भुगतान के निमित्त स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा प्रोटोकाल विभाग के सापेक्ष परिवहन के मद में पूर्व वर्षो की अवशेष धनराशि के भुगतान का नियमानुसार प्रस्ताव तथा डुप्लीकेट देयक प्रेषित किये जाने की स्थिति में पूर्व में भुगतान न होने का प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से (राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के सम्बन्ध में) शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- राज्य अतिथि घोषित महानुभावों को वी0आई0पी0 वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 3295 प्रो0/51-2013-14(37)/2012, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 (प्रति संलग्न) द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया था कि ऐसे जनपद, जिनके पास उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की वी0आई0पी0 टैक्सी/वाहन उपलब्ध नही है, वहॉं अन्य जनपदों/कार सेक्सन परिवहन निगम मुख्यालय में उपलब्ध अतिरिक्त वाहनों में से आवश्यकतानुसार कम से कम एक अथवा दो वी0आई0पी0 टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही परिवहन अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्याः यू0ओ0 07/तीस-1-2015, दिनांक 22 जून, 2015 (प्रति संलग्न) प्रोटोकाल विभाग द्वारा राज्य अतिथि घोषित महानुभावों को भुगतान के आधार पर परिवहन निगम द्वारा टैक्सी उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश आपको दिये गये है।

4- कृपया उपरोक्त स्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही, नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।